न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर,जालोर

पीठासीन अधिकारी — श्री छगनलाल गोयल, आर.ए.एस.

पंचायत निगरानी संख्या — 62/2019

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थीगण
गणपतभारती पुत्र करनाभारती, जाति स्वामी,निवासी सायला, तहसील सायला, जिला जालोर		1.ग्राम पंचायत सायला जरिये सरपंच/ग्राम विकास अधिकारी, सायला,तहसील सायला, जिला जालोर 2.किशनभारती पुत्र करनाभारती, जाति स्वामी,निवासी सायला, तहसील सायला,पंचायत समिति सायला,जिलाजालोर

पंचायत निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राज. पंचायतीराज अधिनियम 1994 विरूद्ध आदेश ग्राम पंचायत सायला ,दिनांक1.3.2019 (पट्टा क्रमांक 49)

उपस्थितिः–
1.श्री गुणेशसिंह राजपुरोहित, विद्वान अभिभाषक प्रार्थी की ओर से।
2,अप्रार्थीगण सं.1,2अनुपस्थित ।

निर्णय दिनांक 31.12.2019

1. प्रार्थी के अनुसार निगरानी के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि अप्रार्थी किशनभारती के पास जरिये रजिस्ट्री खरीदसुदा ग्राम सायला की आबादी भूमि ओटवाला सडक पर 80 + 60 =140/2 =75X 55 फीट यानि 3850 वर्गफीट आवासीय भूमि थी जिसमें से अप्रार्थी किशनभारती ने प्रार्थी गणपतभारती को जरिये रजिस्टर्ड गिफ्टडीड दिनांक 30.12.2009 को कर दिनांक 4.1.2010 को उप पंजीयक सायला में दस्तावेज पंजीयन करवाकर प्रार्थी को 80 + 70 =150/2 =75X 21 फीट कुल 1575 वर्गफीटपर कब्जा कराया जिसमें से प्रार्थी ने कुछ भूमि में आगे दो दुकाने बनाकर कुल 1575 वर्गफीट भूमि के चारो तरफ चारदीवारी बनाकर अन्दर विद्युत व पानी का कनेक्शन ले लिया ,दिनांक 30.12.2009से आज तक इस पर प्रार्थी का विधिक व भौतिक कब्जा है, अप्रार्थी के पास शेष भूमि 34 गुणा 65=2210 वर्गफीट भूमि रहती है लेकिन अप्रार्थी ने पट्टा सं. 49 व 48 दोनो मिलाकर कुल

3850 वर्गफीट के पट्टे बना दिये,अप्रार्थी ने ग्राम पंचायत से ,गिफ्ट की गई भूमि की असलियत को छिपाया गया इसलिए ग्राम पंचायत ने उपलब्ध कराई गई जानकारी के आधार पर पट्टा सं. 49 व48 जारी किया जो विधि के प्रावधानों के विपरीत है ,पट्टा सं. 49 के विरूद्ध यह निगरानी पेश की है तथा पट्टा सं.48 के विरूद्ध अलग से अन्य निगरानी पेश की है।अप्रार्थी किशनभारती ने ग्राम पंचायत कार्यालय में एक आवेदनपत्र बिना तारीख ,माह व वर्ष का पेश किया जो रहवासीय भू खण्ड का पट्टा जारी करने हेतु है, उस आवेदनपत्र में आवेदित भूमि के पडौस ,नापतौल,क्षैत्रफल अंकित नही है,भूमि का नजरी नक्शा में व आवेदनपत्र में सभी कॉलम रिक्त छोडे हुए है,केवल आवेदक के हस्ताक्षर है,शपथपत्र में भी आवेदित भूमि के नाप व पडौस भूमि का क्षेत्रफल तक अंकित नही है, सभी कॉलम रिक्त छोडे गये हैं, शपथपत्र भी नोटेरी से या स्वयं द्वारा स्वप्रमाणित नही किया गया है,ऐसे आवेदन पत्र को सही होना मानकर ग्राम पंचायत ने पट्टा जारी करने में कानूनी व तथ्यात्मक भूल की है,आवेदित स्थल पर मौका निरीक्षण रिपोर्ट पर दिनांक 16.12.18 की तारीख अंकित है,मौके पर आवेदित स्थल का मौका देखने दिनांक 16.12.18 को कोई नहीं आया, क्योंकि प्रार्थी की दो दुकाने रोजाना सुबह से रात्रि 8 बजे तक खुली रहती है, मौका रिपोर्ट में प्लॉट रिक्त बताया है जबकि मौके पर पुरानी दो दुकाने व चारदीवारी बनी हुई है, पानी,विद्युत के कनेक्शन प्रार्थी के नाम लिये हुए है, प्रार्थी ने अप्रार्थी की जमीन का संयुक्त नक्शा शैड्यूल —अ बनाया है जो इस निगरानी का अभिन्न अंग है,उसमें कुल जमीन एबीसीडी मार्क 55X 80+60 =140/2 =70फीट बताई है, जिसमें से मार्कड ए बी सी डी प्रार्थी को अप्रार्थी द्वारा गिफ्ट की गई है,शेष अप्रार्थी की भूमि मार्कड ई बी जी डी बताई है, पट्टा सं.49 में प्रार्थी की 21 गुणा 30 फीट भूमि गलत जोडी गई है जिसे मार्कड ए ई एच एफ बताई है तथा पट्टा सं. 48 में 50+40 =90 /2=45x21फीट =945 फीट गलत जोडी है जिसे मार्कड एच,एफ,सी,डी बताई गई है। पट्टे में मिसल दायरा की तारीख 20.12.18 अंकित है लेकिन मौका रिपोर्ट पर दिनांक 16.12.18 अंकित है,रिपोर्ट में वार्ड सं.15 के पंच के ही हस्ताक्षर है,उसका नाम अंकित नहीं है,दूसरा अन्य कोई असबंधित व्यक्ति के हस्ताक्षर है,उसका नाम,पता भी अंकित नही है। पट्टा सं.49 जारी हुआ,इस सबंधित सभी कार्यवाही पंचायत में बैठकर ही सम्पन्न की गई, मौका नहीं देखा इसलिए पडौस भी गलत लिख दिये जैसे उतर दिशा में मौके पर रास्ता 23 फीट चौडा मौजूद है लेकिन पट्टे मे किशनभारती का मकान लिख दिया, उतर में —किशनभारती का मकान ही नही है पडौस गलत लिखा है, दक्षिण में—सायला सडक नहीं है, दक्षिण व पश्चिम में प्रार्थी की जमीन है, गलत पडौस के आधार पर पट्टा खारिज योग्य है।प्रार्थी के पक्ष में बख्शीशनामा तकमील हुआ उसमें उतर में —23 फीट चौडा रास्ता भुजा 21 फीट, दक्षिण में— ओटवाला

गांव जाने वाली सडक भुजा 21फीट, पश्चिम में—प्रार्थी स्वयं की अन्य खरीदसुदा आबादी भूमि भुजा 80 फीट,पूर्व में—किशनभारती की शेष भूमि भुजा 70 फीटहै,ग्राम पंचायत को प्रार्थी की जमीन पर प्रार्थी की सहमति के बिना अप्रार्थी के पट्टे में सम्मिलित करने का व पट्टा बनाने का क्षैत्राधिकार ही नही है। प्रार्थी दिनांक 5.9.2019 को ग्राम पंचायत कार्यालय में सरकारी योजनाओं की नवीनतम जानकारी प्राप्त करने गया तो पता चला कि प्रार्थी के भाई ने पट्टे भी इसी वर्ष बनवाये है तो उसी दिन नकले मांगी व नकले करीब 10—15 दिनों बाद मिली, दिनांक 16.12.19 को पट्टा पंजीयन की नकले मांगकर प्राप्त की, इस प्रकार नकले मिलने से पहले पट्टे की जानकारी प्रार्थी को नहीं थी,तारीख जानकारी से निगरानी अन्दर म्याद है,प्रथमतःऐसे पट्टे बनाने का क्षैत्राधिकार पंचायत को नही होने से यह शून्य आदेश है,यदि डिले माना जावे तो न्यायहित में डिले कन्डोन किया जाना न्यायसंगत है,ग्राम पंचायत की बैठक में सर्वसम्मति से इस सबंध में एक भी प्रस्ताव पारित नहीं किया है, पट्टा नियम 157(1) के तहत् जारी किया है, उजरदारी नोटिस भूमि क्रय करने बाबत् जारी किया है, अतः प्रार्थी की निगरानी स्वीकार कर अप्रार्थी सं.1 द्वारा अप्रार्थी सं.2 के पक्ष में जारी पट्टा सं. 49 दिनांक 1.3.19 निरस्त करावे तथा इससे सबंधित प्रस्ताव दिनांक 5.2.2019 भी निरस्त करावे। प्रार्थी ने निगरानी के साथ धारा 5 लिमिटेशन एक्ट का प्रार्थनापत्र मय शपथपत्र,नक्शा शेड्यूल—अ तथा फहरिस्त के साथ नकले पेश की,इस पर निगरानी दर्ज कर अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किया व रैकार्ड तलब किया गया।

2. अप्रार्थी सं.1 व 2 को तारीख पेशी 24.10.19 का नोटिस तामील सुदा प्राप्त हुआ है लेकिन वे अनुपस्थित है। अतः उनके विरूद्ध एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई गई।

3. प्रार्थी के वकील की बहस सुनी गई,प्रार्थी के अभिभाषक ने निगरानी प्रार्थनापत्र में वर्णित तथ्यों को बहस में दोहराया व बताया कि रमेशकुमार पुत्र पुखराजजी ओसवाल निवासी सायला से अप्रार्थी सं.2किशनभारती पुत्र करनाभारती स्वामी,निवासी सायला ने जरिये रजिस्ट्री दिनांक 23.9.93 को 900वर्गगज में से 3850 वर्गफीट भूमि खरीद की थी, खरीदसुदा भूमि में से किशनभारती ने गिफ्ट डीड रजिस्टर्ड दिनांक 4.1.2010 को 1575 वर्गफीट का दक्षिणी हिस्सा गणपतभारती को किया ,बख्शीश में से अप्रार्थी सं.2 ने पट्टा बनाया है। धारा 157(1) में पुश्तैनी आराजी का ही पट्टा बनेगा जबकि यह जमीन खरीदसुदा है ,पुश्तैनी नही है। अतःअप्रार्थी सं.2 को जारी पट्टा सं. 49 दिनांक 1.3.19 निरस्त करावे।

4. उभयपक्ष के वकुलाय की बहस पर मनन किया व रैकार्ड का अवलोकन किया गया। उक्त प्रकरण में ग्राम सायला के खसरा नम्बर 472/3 की 900 वर्गगज आबादी में संपरिवर्तित भूमि में से 3850 वर्गफीट का प्लॉट रमेशकुमार पुत्र पुखराज,जाति ओसवाल,निवासी सायला से अप्रार्थी सं.2—किशनभारती द्वारा जरिये रजिस्टर्ड विक्रयपत्र दिनांक 23.9.93 से क्रय किया तथा उक्त क्रय की गई भूमि में से 1575 वर्गफीट भूमि का बख्शीशनामा प्रार्थी—गणपतभारती के पक्ष में दिनांक 4.1.2010 को निष्पादित किया तथा उसी बख्शीश की गयी भूमि 1575 वर्गफीट में से 630 वर्गफीट भूमि शामिल करते हुए ग्राम पंचायत सायला द्वारा अप्रार्थी सं.2—किशनभारती के पक्ष में पट्टा सं.49 (कुल 1650वर्गफीट) का जारी कर दिया जो विधिसम्मत् नहीं है।

आदेश

अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी की निगरानी स्वीकार की जाकर ग्राम पंचायत सायला द्वारा अप्रार्थी सं.2—किशनभारती के पक्ष में जारी पट्टा सं. 49 दिनांक 1.3.19 निरस्त किया जाता है व प्रकरण ग्राम पंचायत सायला को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता हैं कि वे उभयपक्ष को सुनकर,उनके द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात् के आधार पर, नये सिरे से, अप्रार्थी सं.2 के पक्ष में पट्टा जारी करने की कार्यवाही करे। पत्रावली फैसल सुदा मानी जाकर,नम्बर से कम होकर,बाद तकमील तरतीब के बाजाब्ता दफ्तर दाखिल हो।

(छगनलाल गोयल)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर,
जालोर

निर्णय,आज दिनांक 31.12.2019 को खुले न्यायालय में पढ़कर सुनाया गया।

(छगनलाल गोयल)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर,
जालोर

Signature Not Verified
Digitally signed by Chhagan Lal Goyal
Date: 2020.01.06 17:25:57 IST
Reason: SelfAttested
Location: